KHAN GLOBAL STUDIES
Kisan Cold Storage, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6
Mob. : 8877918018, 8757354880

Fundamental Rights

By : Karan Sir

- **अनुच्छेद-20: अपराधों के लिये दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (Article–20 : Protection in Respect of Conviction for Offences)**

☞ अनुच्छेद-20 का संबंध इस बात से है कि राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित न कर सके। अनुच्छेद-20 के तीन खंड हैं और तीनों में इसी से जुड़े तीन संरक्षण दिये गए हैं, जो निम्नलिखित हैं-

अनुच्छेद-खंड	दिया गया संरक्षण
अनुच्छेद-20 (1)	भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण।
अनुच्छेद-20 (2)	दोहरे दंड से संरक्षण।
अनुच्छेद-20 (3)	अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण।

- **अनुच्छेद-20 (1): भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण Article– 20 (1) : Protection from Ex-post Facto Criminal Laws]**

☞ अनुच्छेद-20 (1) का मूल पाठ इस प्रकार है-

कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिये तब तक सिद्धदोष (Convicted) नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि (Law in force) का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक दंड का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किये जाने के समय प्रवृत्त विधि (Law in force) के अधीन अधिरोपित किया जा सकता था।

ध्यातव्य है कि अनुच्छेद-20 का संबंध सिर्फ आपराधिक विधि यों (Criminal laws) से है, सिविल विधियों से नहीं।

☞ अनुच्छेद-20(1) के माध्यम से निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं-

- **अनुच्छेद-20 (2) : दोहरे दंड से संरक्षण [Article– 20 (2) : Protection Against Double Jeopardy]**

☞ अनुच्छेद-20 (2) यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिये एक बार से अधिक अभियोजित (Prosecute) और दंडित (Punish) नहीं किया जाएगा।

भारत में यदि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध के आरोप के आधार पर विचारण (Trial) किया गया हो और विचारण में वह व्यक्ति दोषी सिद्ध न हुआ हो तो भारत में यह छूट (विचारण नहीं करने की) तभी मिलती है जब किसी व्यक्ति पर अभियोग चलाने के साथ-साथ उसे दंड दिया जाए। यदि एक ही कृत्य से एकाधिक अपराध उत्पन्न होंगे तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिये पृथक दंड दिया जाना अनुच्छेद-20 (2) का उल्लंघन नहीं है।

- **अनुच्छेद-20 (3): अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। [Article– 20(3): Protection from being Witness Against Himsel for Self - incrimination]**

☞ पहली शर्त है कि व्यक्ति को 'आपराधिक कृत्य के लिये अभियुक्त' बनाया गया हो। इसका अर्थ है कि अनुच्छेद-20 (3) से मिलने वाली सुरक्षा सिविल कार्यवाहियों (या ऐसी कार्यवाहियाँ जो दांडिक प्रकृति की नहीं हैं) पर लागू नहीं होती।

☞ दूसरी शर्त अर्थात् श्अपने विरुद्ध गवाही देनेश का अर्थ है कि अभियुक्त को अपने विरुद्ध कोई ऐसी सूचना, तथ्य या प्रमाण देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकेगा जो उसे अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर देना हो।

☞ तीसरी शर्त यह है कि अभियुक्त को अपने विरुद्ध गवाही देने को लिये बाध्य किया गया हो। अनुच्छेद-20 (3) में प्रयुक्त वाक्यांश श्बाध्य नहीं किया जाएगाश में निहित है कि यदि कोई अभियुक्त स्वप्रेरणा (Self inspiration) से अपने विरुद्ध गवाही देना चाहे तो यह वर्जित नहीं है। यह अनुच्छेद केवल उन स्थितियों में लागू होता है जहाँ अभियुक्त पर अपने विरुद्ध गवाही देने के लिये कोई दबाव डाला गया हो। दबाव का अर्थ सिर्फ श्शारीरिक दबाव या यंत्रणा (Physical pressure or torture) ही नहीं है, उसमें 'मानसिक दबाव या यंत्रणा' (Mental pressure or torture)

भी शामिल है।

- **अनुच्छेद-21: प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (Article– 21 : Protection to Life and Personal Liberty)**

☞ अनुच्छेद-21 संविधान का सबसे अधिक चर्चित एवं गत्यात्मक (Dynamic) अनुच्छेद है। वस्तुत: मानवाधिकारों की सूची में शामिल व सभी अधिकार जो हमारे संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत शामिल नहीं किये गए थे, अनुच्छेद-21 की व्यापक व्याख्याओं के माध्यम से अब प्राप्त हो गए हैं।

☞ अनुच्छेद-21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण (Life) या दैहिक स्वतंत्रता (Personal Liberty) से 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure established by law) के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

☞ ध्यातव्य है कि अनुच्छेद-21 में 'व्यक्ति' (Person) शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ है कि यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों पर भी लागू होता है।

- **'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' तथा 'यथोचित या सम्यक् विधि प्रक्रिया' में अंतर (Difference between 'Procedure Established by Law' and 'Due Process of Law')**

☞ अनुच्छेद-21 में प्रयुक्त वाक्यांश 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure established by Law) विशेष महत्त्व का है। इसकी व्याख्या को लेकर अक्सर यह विवाद होता रहा है कि यह अमेरिका की 'यथोचित विधि प्रक्रिया' (Due process of law) के अनुरूप है या ब्रिटिश संविधान की पद्धति के अनुरूप?

☞ 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure established by law) का मूल संबंध ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था से है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता (Parliamentary supremacy) है और संसद द्वारा पारित की गई विधियों के औचित्य का निर्धारण करने की शक्ति वहाँ की न्यायपालिका को नहीं है। 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' वाक्यांश से स्पष्ट है कि यदि विधि के अनुसार प्रक्रिया निश्चित की गई है तो उस प्रक्रिया के अनुसार व्यक्तियों की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन में नागरिकों को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कार्यपालिका अर्थात् सरकार के विरुद्ध ही प्राप्त है। विधायिका या ससद के विरुद्ध नहीं।

- **अनुच्छेद-21 की विभिन्न व्याख्याएँ**

(Different Interpretations of Article & 21)

☞ 'मेनका गांधी बनाम भारत संघ' (1978) मामले के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों के माध्यम से अनुच्छेद-21 का विस्तार अत्यंत व्यापक बना दिया है। ऐसी प्रमुख व्याख्याएँ तथा उन व्याख्याओं द्वारा प्राप्त हुए अधिकार निम्नलिखित हैं-

- **शिक्षा पाने का अधिकार (Right to Education):** अनुच्छेद-21 के तहत दिये गए अधिकारों में सबसे महत्त्वपूर्ण 'शिक्षा का अधिकार' है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार घोषित किये जाने के बाद सरकार पर दबाव पड़ने लगा कि वह इस मूल अधिकार को संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल करे। 'संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम, 2002' के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 21 (क) जोड़ा गया जो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 (क) में कहा गया है कि "राज्य छ: से चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा (Free and compulsory education) इस प्रकार प्रदान करेगा जिस प्रकार राज्य विधि के अधीन निर्धारित करे।"

- **एकांत का अधिकार (Right to Privacy):** सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में निर्धारित किया है कि अनुच्छेद-21 में निहित प्राण या जीवन के अधिकार में 'एकांतता का अधिकार' (Right to privacy) भी शामिल है, क्योंकि मानवोचित गरिमा के साथ जीने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को एकांतता की आवश्यकता होती है। इससे जुड़े कुछ पक्ष इस प्रकार हैं-

  ❖ किसी व्यक्ति का टेलीफोन टेप करना 'एकांतता के अधिकार' का उल्लंघन है।

  ❖ रात के समय किसी व्यक्ति के घर में पुलिस का आना एकांतता के अधिकार का उल्लंघन है।

- **पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार (Right to Protection from Environmental Pollution) :** न्यायालयों ने कई मामलों में निर्धारित किया है कि प्रदूषणमुक्त वातावरण में रहना गरिमापूर्ण जीवन की आवश्यक शर्त है, अत: यह भी अनुच्छेद-21 द्वारा प्रदत्त 'प्राण की स्वतंत्रता' का एक अनिवार्य पक्ष है। इससे संबंधित दो-तीन मामले बहुत महत्त्वपूर्ण हैं, जो इस प्रकार हैं-

  ❖ न्यायालय ने निर्धारित किया कि ऐसे विषयों पर जनहित याचिका (Public interest litigation) को स्वीकार किया जा सकता है।

  ❖ सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि शहर के निवासियों का शुद्ध हवा में साँस लेने का अधिकार कारखानों के मालिकों की अपनी इच्छा के स्थान पर व्यवसाय करने के अधिकार से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है।

- **अनुच्छेद-22: कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण (Article-22 : Protection Against Arrest and Detention in Certain Cases)**

☞ अनुच्छेद-22 अनुच्छेद-21 से गहरे तौर पर संबंधित है। अनुच्छेद-22 स्पष्ट करता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार (Arrest) या निरुद्ध (क्मजंपद) किया जाता है, जो कि उसे 'दैहिक स्वतंत्रता' से वंचित करना ही है, तो विधानमंडल द्वारा इस संबंध में बनाई गई प्रक्रिया-विधि (Procedural law) में कौन-कौन सी शर्तों का पूरा होना जरूरी है। 'मेनका गांधी बनाम भारत संघ' (1978) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद-22 अपने आपमें संपूर्ण नहीं है, वह अनुच्छेद-21 का पूरक (Complimentary) है। अत: इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाना जरूरी है।

☞ वस्तुत:, गिरफ्तारी (Arrest) या निरोध (Detention) के दो प्रकार होते हैं- दंडात्मक निरोध (Punitive detention) तथा निवारक निरोध (Preventive detention)। दंडात्मक निरोध या गिरफ्तारी इसलिये की जाती है कि किसी व्यक्ति पर कोई अपराध करने का संदेह है या उस पर अपराध सिद्ध हो गया है, अत: उसे कारावास में रखे जाने की जरूरत है । 'निवारक निरोध' में किसी व्यक्ति को निरुद्ध इसलिये किया जाता है कि वह अनुचित कृत्य न कर सके। अर्थात् जिस व्यक्ति के संबंध में यह संभावना होती है कि वह कानून व्यवस्था को क्षति पहुँचा सकता है, उसे अपराध करने से पहले ही निरुद्ध (detain) कर लेना 'निवारक निरोध' (Preventive detention) है।

- **निवारक निरोध विधियों से संबंधित अधिनियम (Acts Related to Preventive Detention Laws)**

☞ अनुच्छेद-22 में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने निवारक निरोध से संबंधित कई कानून बनाए हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-

- **निवारक निरोध अधिनियम (Preventive Detention Act):** यह अधिनियम 1950 में पारित किया गया था। इसमें सलाहकार बोड को निरोध आदेश के 10 सप्ताह के भीतर सरकार को रिपोर्ट भेजने का प्रावधान था। कुछ समय पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय ने इस धार को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अत: इसे 1 अप्रैल, 1951 तक समाप्त होना था। किंतु बार-बार अवधि बढ़ाए जाने के कारण यह अंतत: दिसंबर 1969 में समाप्त हुआ।

- **आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA - Maintenance of Internal Security Act):** 1971 में इसके माध्यम से निवारक निरोध की व्यवस्था पुन: लागू कर दी। इसके प्रावधान प्राय: वही थे जो 'निवारक निरोध अधिनियम, 1950' के थे। आगे चलकर यह अधिनियम 1978 में निरसित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य सुरक्षा से जुड़े प्रश्नों पर निवारक निरोध की व्यवस्था लागू करना था।

- **विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (कोफेपोसा) (COFEPOSA - Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act):** यह अधिनियम 1971 के मीसा अधिनियम (MISA) के पूरक के तौर पर 1974 में लाया गया। 'कोफेपोसा' (COFEPOSA) का उद्देश्य तस्करी (Smuggling) तथा विदेशी मुद्रा (Foreign currency) से जुड़े अपराधों के संबंध में निवारक निरोध की व्यवस्था लागू करना था।

- **चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (The Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Essential Commodities Act, 1980] :** जनता पार्टी सरकार ने मीसा (MISA) अधिनियम को तो निरस्त कर दिया था, किंतु कुछ समय बाद उसे लगने लगा कि निवारक निरोध की व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। इसलिये इस सरकार ने 'चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम' का निर्माण किया जो निवारक निरोध की व्यवस्था करता था।

- **राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 (National Security Act, 1980]:** श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने 1980 में सत्ता सँभालने के तुरंत बाद 'राष्ट्रीय सुरक्षा कानून' ('रासुका' नाम से प्रसिद्ध) या 'राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम' पारित कराया जो एक अर्थ में 'आंतरिक सुरक्षा अधिनियम'(MISA) का ही नया रूप था।

- **चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 The Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Essential Commodities Act, 1980]:** जनता पार्टी सरकार ने मीसा (MISA) अधिनियम को तो निरस्त कर दिया था, किंतु कुछ समय बाद उसे लगने लगा कि निवारक निरोध की व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। इसलिये, इस सरकार ने 'चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम' का निर्माण किया जो निवारक निरोध की व्यवस्था करता था।

- **राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 (National Security Act, 1980] :** श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने 1980 में सत्ता सँभालने के तुरंत बाद 'राष्ट्रीय सुरक्षा कानून' ('रासुका' नाम से प्रसिद्ध) या 'राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम' पारित कराया जो एक अर्थ में 'आंतरिक सुरक्षा अधिनियम' (MISA) का ही नया रूप था।

- **आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियाँ (निवारक) अधिनियम, 1987 [TADA – Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act] 1987 :** 'टाडा' (TADA) के नाम से प्रसिद्ध यह अधिनियम पहला ऐसा प्रयास था जिसमें केंद्र सरकार ने 'आतंकवादी गतिविधियों' को परिभाषित किया था और उनसे निपटने के लिये विशेष प्रावधान किये थे। 1980 के दशक में पंजाब में आतंकवाद के बढ़ने के कारण इस अधिनियम की जरूरत महसूस की गई थी।

- **आतंकवाद निवारक अधिनियम, 2002 (Prevention of Terrorism Act, 2002]:** 11 सितंबर, 2001 को अमेरिका में हुई आतंकवादी घटना, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वस्त कर दिया गया। सरकार ने तय किया कि आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिये विशेष कानून बनाया जाना चाहिये। इस दिशा में पहला कदम 2001 में उठाया गया जब 'पोटो' अर्थात् 'आतंकवाद निवारक अध्यादेश, 2001' (Prevention of Terrorism Ordinance, 2001) जारी किया गया। 2002 में इसी अध्यादेश को संसद द्वारा पारित कराया गया और तब से 'पोटो' (POTO) 'पोटा' (POTA– Prevention of Terrorism Act) में रूपांतरित हो गया।

- **गैर-कानूनी गतिविधियाँ (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2008 [The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2008] :** भारत सरकार ने 'गैर-कानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967' [The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967] पारित किया था जिसका उद्देश्य राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करना था। यह अधिनियम 1969 में संशोधित किया गया था। अत: सरकार द्वारा 2004 में इसे पुन: संशोधित किया गया। इसके अंतर्गत पोटा के अधिकांश प्रावधान शामिल कर दिये गए। 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले से सबक लेते हुए इस कानून को और कठोर बना दिया गया। वर्तमान में यह 'गैर-कानूनी गतिविधियाँ (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2008' के रूप में जाना जाता है।